"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 6 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 8 फरवरी 2013—माघ 19, शक 1934

विषय—सूची



# भाग १

### सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 9 जनवरी 2013

क्रमांक ई-1-16/2012/1/2.— भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2009 आवंटन वर्ष के निम्नलिखित अधिकारियों को, आवंटन वर्ष से 04 वर्ष की सेवा दिनांक 1-1-2013 को पूर्ण कर लेने के फलस्वरूप, भा.प्र.से. (वेतन) नियम, 2007 के नियम 3(1)(1) के परन्तुक के अंतर्गत, उक्त तिथि अर्थात् 1-1-2013 से सेवा के वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान (पे बैंड-3, रु. 15600-39100 और ग्रेड पे रु. 6600/-) में पदोन्नत किया जाकर वर्तमान पदस्थापना स्थान पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है :—

| स. क्र. | अधिकारी का नाम | वर्तमान पदस्थापना |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | सुश्री किरण कौशल | मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सरगुजा |
| 2. | सुश्री प्रियंका शुक्ला | मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, राजनांदगांव |



संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 3. | श्री अवनीश कुमार शरण | आयुक्त, नगर निगम, बिलासपुर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अरपा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, बिलासपुर. |
| 4. | श्री समीर विश्नोई | मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बीजापुर |
| 5. | श्री सौरभ कुमार | अनुविभागीय अधिकारी, जिला-दंतेवाड़ा |
| 6. | डॉ. तंबोली अय्याज फकीरभाई | अनुविभागीय अधिकारी, जिला-बस्तर (जगदलपुर) |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**सुनिल कुमार**, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 10 जनवरी 2013

क्रमांक ई 7-11/2012/1-2.— श्री जी. आर. चुरेन्द्र, उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 27-12-2012 से 05-01-2013 तक (10 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही उन्हें दिनांक 06-01-2013 के राजपत्रित अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री चुरेन्द्र, उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री चुरेन्द्र को वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री चुरेन्द्र अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**एम. एल. ताम्रकार**, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 16 जनवरी 2013

क्रमांक 47/680/अव./2012/1-8/स्था.— श्री गोपाल सिंह, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, तकनीकी शिक्षा विभाग को दिनांक 03-11-2012 से 20-11-2012 तक 18 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सिंह आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, तकनीकी शिक्षा विभाग के पद पर पदस्थ होंगे

3. अवकाश अवधि में श्री सिंह को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 17 जनवरी 2013

क्रमांक 49/840/अव./2012/1-8/स्था.— श्री पी. डी. पुरबिया, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग को दिनांक 28-01-2013 से 08-02-2013 तक 12 दिवस का अर्जित अवकाश (दिनांक 25, 26, 27-01-2013 तथा 09, 10-02-2013 के शासकीय अवकाश के लाभ सहित) स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री पुरबिया आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग के पद पर पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री पुरबिया को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पुरबिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 17 जनवरी 2013

क्रमांक 53/1451/अव./2012/1-8/स्था.— श्री तपेश चन्द्र गुप्ता, उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पर्यटन विभाग को दिनांक 10-07-2012 से 13-07-2012 तक 04 दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री गुप्ता आगामी आदेश तक उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पर्यटन विभाग के पद पर पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री गुप्ता को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गुप्ता अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 18 जनवरी 2013

क्रमांक 61/2600/2012/1-8/स्था.— श्री ए. एच. सिद्दिकी, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह (जेल) विभाग को दिनांक 23-11-2012 से 29-11-2012 तक कुल 07 दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सिद्दिकी आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह (जेल) विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री सिदिदकी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिद्दिकी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 18 जनवरी 2013

क्रमांक 65/57/2013/1-8/स्था.— श्री प्रभात लकड़ा, वरिष्ठ लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, छत्तीसगढ़ मंत्रालय को दिनांक 14-12-2012 से 05-01-2013 तक 23 दिवस का अर्जित अवकाश (दिनांक 06-01-2013 के शासकीय अवकाश के लाभ सहित) स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री लकड़ा आगामी आदेश तक सामान्य प्रशासन विभाग में वरिष्ठ लेखाधिकारी के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री लकड़ा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री लकड़ा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 18 जनवरी 2013

क्रमांक 67/55/अव./2013/1-8/स्था.— श्रीमती कर्मेला लकड़ा, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पशुपालन एवं मछलीपालन विभाग को दिनांक 26-12-2012 से 05-01-2013 तक 11 दिवस का अर्जित अवकाश (दिनांक 25-12-2012 एवं 06-01-2013 के शासकीय अवकाश के लाभ सहित) स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती लकड़ा आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पशुपालन एवं मछलीपालन विभाग के पद पर पदस्थ होंगी.

3. अवकाश अवधि में श्रीमती लकड़ा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती लकड़ा अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

रायपुर, दिनांक 21 जनवरी 2013

क्रमांक 69/694/2012/1-8/स्था.—श्री विजय कुमार चौधरी, स्टाफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, जनसंपर्क, आवास एवं पर्यावरण विभाग को दिनांक 31-12-2012 से 05-01-2013 तक 06 दिवस का अर्जित अवकाश (दिनांक 30-12-2012 तथा 06-01-2013 के शासकीय अवकाश के लाभ सहित) स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री चौधरी, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, जनसंपर्क, आवास एवं पर्यावरण विभाग के स्टॉफ ऑफिसर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री चौधरी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री चौधरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**के. सी. वर्मा**, अवर सचिव.

## वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
### मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 2013

क्रमांक 18-24/2011/11/(6).—राज्य शासन एतद्द्वारा नया राजधानी नया रायपुर के ग्राम तूता में विकसित किये जा रहे छत्तीसगढ़ ट्रेड सेन्टर परिसर का नामकरण "डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं व्यापार परिसर" किये जाने हेतु कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

रायपुर, दिनांक 23 जनवरी 2013

क्रमांक एफ 8-5/2006/11/(6).—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा एन.टी.पी.सी. कोरबा के बॉयलर क्रमांक सी.जी./545 को दिनांक 30-12-2012 से 30-04-2013 तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6(सी) के उपबंधनों के प्रवर्तन से अतिरिक्त छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**व्ही. के. छबलानी,** संयुक्त सचिव.

---

## गृह (पुलिस) विभाग
### मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 जनवरी 2013

**क्रमांक एफ 3-142/2012/बजट/गृह-दो.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 क्रमांक 2 सन् 1974 की धारा 2 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नीचे दी गई सारणी में वर्णित स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व अधिसूचनाओं में आंशिक रूप से संशोधन करते हुए राज्य शासन द्वारा जन सुविधा एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से कालम नम्बर 3 में वर्णित पुलिस थाना/चौकी के उक्त सारणी के कालम (4)**

की तत्संबंधित प्रवृष्टि में उल्लेखित किये गये स्थानीय क्षेत्रों को कालम नं. 2 में वर्णित पुलिस थाना/चौकी के स्थानीय क्षेत्राधिकार में अधिसूचित करता है :—

| क्र. | थाना/चौकी का नाम जिसमें सम्मिलित किया जाना है | उस थाने/चौकी का नाम, जिसमें से अपवर्जित किया गया | स्थानीय क्षेत्र | |
|---|---|---|---|---|
| | | | ग्राम का नाम | पटवारी ह. नं. |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | थाना-चक्रधरनगर, जिला-रायगढ़. | थाना-पूंजीपथरा | बरलिया | 15 |
| | | | दनौट | 15 |
| | | | भेलवांटिकरा | 15 |
| | | | विजयपुर | 13 |
| 2. | थाना व तह.-बगीचा, जिला-जशपुर. | चौकी-पण्डरापाठ, थाना-बगीचा | रोकड़ा | 18 |
| 3. | थाना-बम्हनीडीह, तहसील-चांपा, जिला-जांजगीर-चांपा. | थाना-बिर्रा, तहसील-चांपा, जिला-जांजगीर-चांपा. | कपिस्दा | 112 |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**एस. पी. शोरी,** संयुक्त सचिव.

---

## ग्रामोद्योग विभाग
### मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक 2057/1911/2012/ग्रामो. रायपुर, दिनांक 28 दिसम्बर 2012

**सर्वश्रेष्ठ दीनदयाल हाथकरघा प्रोत्साहन पुरस्कार योजना**

**प्रस्तावना :—** छत्तीसगढ़ शासन, ग्रामोद्योग विभाग द्वारा प्रदेश के सूती हाथकरघा वस्त्र उद्योग को संरक्षण तथा बढ़ावा देने, हाथकरघों पर वस्त्र उत्पादन की पारंपरिक कला संस्कृति की अनुपमा को अक्षुण्य बनाए रखने एवं बुनकरों की कल्पनाशीलता, योग्यता तथा कारीगरी को प्रोत्साहित करने हेतु "सर्वश्रेष्ठ दीनदयाल हाथकरघा प्रोत्साहन पुरस्कार योजना" की स्थापना की गई है.

इस पुरस्कार के विनियम एवं प्रक्रिया निर्धारण हेतु निम्नानुसार नियम बनाये जाते हैं.

**उद्देश्य :—** योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की परंपरागत हाथकरघा सूती वस्त्र उत्पादन कला-कौशल को संरक्षण प्रदान करना तथा उत्पादन में उत्कृष्टता लाये जाने हेतु प्रोत्साहित करना है.

**संक्षिप्त नाम :—**

(अ) इस नियम का संक्षिप्त नाम "सर्वश्रेष्ठ दीनदयाल हाथकरघा प्रोत्साहन पुरस्कार योजना 2012" होगा.

(ब) यह नियम संपूर्ण छत्तीसगढ़ में आदेश जारी दिनांक से प्रभावशील होगा.

**परिभाषा :—** इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(अ) हाथकरघा से तात्पर्य ऐसे समस्त प्रकार के हाथकरघा जैसे-फेमलूम, पिटलूम, जेकार्ड लूम आदि से है जो हस्तचलित (मानव शक्ति) हो.

(ब) बुनकर से तात्पर्य उपरोक्त बिंदु क्रमांक-"अ" अनुसार करघों पर सूती वस्त्र बुनाई का कार्य करता हो.

(स) निर्णायक मंडल से अभिप्राय इन नियमों के अंतर्गत गठन किये जाने वाले निर्णायक मण्डल (जूरी) से है.

**पुरस्कार का स्वरूप :—** प्रदेश में हाथकरघा पर सूती वस्त्र उत्पादन के क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष 2 बुनकरों को **"सर्वश्रेष्ठ दीनदयाल हाथकरघा प्रोत्साहन पुरस्कार योजना"** अंतर्गत पुरस्कार राशि एक-एक लाख के मान से कुल राशि रु. 2.00 लाख (अक्षरी दो लाख रुपये) मात्र नगद पुरस्कार तथा प्रतीक चिन्ह, शॉल एवं श्रीफल के रूप में दिया जायेगा. यह पुरस्कार राज्य शासन द्वारा नियुक्त निर्णायक मण्डल (जूरी) द्वारा चयनित सर्वश्रेष्ठ 2 बुनकरों को दिया जायेगा. प्रशस्ति-पत्र पृथक-पृथक दिया जावेगा.

**प्रविष्टियां :—** प्रदेश के सूती हाथकरघा वस्त्र बुनकरों के द्वारा हाथकरघा पर पांरपरिक/आधुनिक डिजाईन में विभिन्न रंगों के संयोजन/रंग विहिन के साथ बुने गये सभी प्रकार के वस्त्र शामिल होंगे. उक्त पुरस्कार योजना में कोसा वस्त्र बुनकरों की प्रविष्टियां मान्य नहीं होगी.

**पुरस्कार योजना की शर्तें :—**

(1) प्रविष्टि हेतु आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए. (आवेदन के साथ मूल निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा.)

(2) प्रस्तुत प्रविष्टि हेतु आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु का बंधन नहीं है.

(3) प्रस्तुत प्रविष्टि, आवेदक द्वारा हाथकरघा पर स्वयं के द्वारा बुनाई किया गया है. के संबंध में शपथ पत्र देना होगा.

(4) एक आवेदक की एक ही प्रविष्टि स्वीकार की जावेगी.

(5) पूर्व पुरस्कृत प्रविष्टि इस योजनांतर्गत पुरस्कार हेतु ग्राह्य नहीं होगी. इस योजनांतर्गत प्रविष्टि प्रथम बार प्रस्तुत करने के संबंध में आवेदक द्वारा स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र देना होगा.

(6) पुरस्कार दिये जाने हेतु चयनित प्रविष्टि तथा पुरस्कार वितरण संपन्न होने के मध्य यदि संबंधित बुनकर का निधन हो जाता है तो चयनित एवं घोषित पुरस्कार उस बुनकर द्वारा नामांकित व्यक्ति को देय होगा.

(7) पुरस्कार वितरण समारोह में भाग लेने के लिए चयनित व्यक्ति को उनके निवास स्थान से समारोह स्थल तक आने-जाने एवं ठहरने के लिए शासन के यात्रा भत्ता नियम श्रेणीकरण के अनुसार श्रेणी "बी" के समकक्ष यात्रा करने एवं यात्रा भत्ता पाने की पात्रता होगी.

(8) कोई भी शासकीय/अर्द्धशासकीय/सहकारी संस्था/संघ के कर्मचारी इस पुरस्कार योजना में भाग नहीं ले सकेंगे.

**प्रविष्टि आमंत्रण :—**

1. जिस वर्ष के लिए पुरस्कार प्रदान किया जाना है, उस वर्ष के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित करने हेतु संचालक, ग्रामोद्योग संचालनालय (हाथकरघा घटक) द्वारा प्रमुख समाचार पत्रों/पत्रिकाओं में जनसंपर्क संचालनालय के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित कराया जाकर नियमानुसार प्रविष्टियां निर्धारित प्रारूप में, आवेदन के साथ कलेक्टर के माध्यम से या सीधे आमंत्रित की जावेगी. प्राप्त प्रविष्टियां कलेक्टर द्वारा निर्धारित समय पर "संचालक, ग्रामोद्योग संचालनालय (हाथकरघा), रायपुर" को अग्रेषित की जावेगी. आवेदक पुरस्कार हेतु अपनी प्रविष्टि आवेदन-पत्र व संबंधित कागजात सहित संचालक, ग्रामोद्योग संचालनालय (हाथकरघा) छत्तीसगढ़, रायपुर को बंद लिफाफे में सीधे भी भेज सकते हैं. जिले में पदस्थ उप/सहायक संचालक (हाथकरघा) उक्त पुरस्कार योजना का प्रचार-प्रसार एवं संबंधित कार्य कलेक्टर के मार्गदर्शन में करेंगे. निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त प्रविष्टियां मान्य नहीं होगी.

2. प्रविष्टि आमंत्रण हेतु विज्ञप्ति जारी करने की तिथि में संचालक ग्रामोद्योग (हाथकरघा) आवश्यकतानुसार परिवर्तन कर सकेंगे.

(अ) चयन के लिए नियमों में उल्लेखित मापदण्ड एवं शर्तों के अलावा कोई और शर्तें लागू नहीं होगी.

(ब) अगर किसी बुनकर की प्रविष्टि किसी वर्ष चयनित नहीं होती है तो वह बुनकर आगामी वर्ष में अपनी प्रविष्टि पुनः पुरस्कार हेतु भेज सकता है.

(स) प्रविष्टि में अंतनिर्हित तथ्यों/जानकारी के अलावा पुरस्कार के संबंध में अन्य पश्चात्‌वर्ती पत्र व्यवहार पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

(द) प्रविष्टि में दिये गये तथ्यों/निष्कार्षों/प्रमाणों का संपूर्ण उत्तरदायित्व प्रविष्टि प्रस्तुतकर्ता का रहेगा. इस मामले में राज्य शासन किसी भी विवाद में पक्ष नहीं माना जावेगा.

(इ) निर्धारित तिथि तक प्राप्त समस्त प्रविष्टियां संबंधित पुरस्कार वर्ष की पंजी में निम्नांकित प्रपत्र में पंजीयन किया जावेगा :—

| क्र. | प्रविष्टिकर्ता का नाम, पद तथा पता | प्राप्त कागजातों की कुल पृष्ठ संख्या | अन्य विवरण |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |

**निर्णायक मण्डल ( जूरी ) का गठन :—** राज्य शासन, संचालक ग्रामोद्योग (हाथकरघा) की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय निर्णायक मण्डल का गठन करेगा, जिसमें हाथकरघा क्षेत्र से जुड़े दो प्रतिष्ठित व्यक्ति सम्मिलित होंगे.

**निर्णायक मण्डल की शक्तियां :—**

1. निर्णायक मण्डल द्वारा किया गया चयन, अंतिम व बंधनकारी होगा.

2. पुरस्कार के चयन के संबंध में कोई आपत्ति अथवा अपील स्वीकार नहीं की जावेगी.

3. निर्णायक मण्डल के बैठक की संपूर्ण कार्यवाही गोपनीय रहेगी एवं उसके द्वारा सर्वानुमति से की गई लिखित अनुशंसा के अलावा बैठक के दौरान हुए विचार-विमर्श का कोई लिखित अभिलेख नहीं रखा जावेगा.

4. निर्णायक मंडल के माननीय सदस्यों को चयन प्रक्रिया के लिए आमंत्रित किये जाने पर, उन्हें शासन के यात्रा भत्ता नियम श्रेणीकरण के अनुसार श्रेणी "बी" के समकक्ष यात्रा करने तथा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार होगा.

**पुरस्कार के लिए चयन मापदण्ड :—** पुरस्कार के लिए हाथकरघा क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बुनकर चयन हेतु निम्नलिखित दिशा निर्देश व मापदण्ड होंगे.

1. पुरस्कार हेतु बुनकर आवेदक को इस योजना के समस्त नियम/शर्तों का पालन करना होगा.

2. निर्णायक मण्डल द्वारा प्रासंगिक/मौलिक/परंपरागत/आधुनिक डिजाईनों, रंग संयोजन, बुनाई में विविधता आदि को दृष्टिगत रखते हुए बुने गये वस्त्रों की विशेषता के आधार पर चयन किया जावेगा.

3. निर्णायक मण्डल के सदस्य एवं उनके परिवार के सदस्य इस पुरस्कार योजना में भाग नहीं ले सकेंगे.

**पुरस्कार की घोषणा :—** निर्णायक मण्डल (जूरी) अपना निर्णय गोपनीय रूप से छत्तीसगढ़ शासन, ग्रामोद्योग विभाग को प्रस्तुत करेगा तथा राज्य शासन द्वारा पुरस्कार के लिए चयनित व्यक्ति/व्यक्तियों की औपचारिक घोषणा की जावेगी.

**व्यय की सम्पूर्ति :—** पुरस्कार एवं अलंकरण समारोह से संबंधित व्यवस्थाओं पर होने वाले व्यय की पूर्ति ग्रामोद्योग संचालनालय (हाथकरघा घटक) द्वारा की जावेगी.

**नियमों में संशोधन एवं परिवर्तन :—** छत्तीसगढ़ शासन, ग्रामोद्योग विभाग को पुरस्कार नियमों में आवश्यकतानुसार संशोधन, परिवर्तन एवं परिवर्धन करने का अधिकार होगा. इन नियमों में अंतर्निहित प्रावधान के संबंध में ग्रामोद्योग विभाग की व्याख्या अंतिम मानी जावेगी. ऐसे मामले जिनका नियमों में उल्लेख नहीं है, के निराकरण के अधिकार भी छत्तीसगढ़ शासन, ग्रामोद्योग विभाग में वेष्ठित होंगे.

**अन्य दायित्वों का निर्वहन :—** प्रतिवर्ष प्राप्त पुरस्कार एवं चयनित व्यक्ति का रिकार्ड ग्रामोद्योग संचालनालय (हाथकरघा घटक) द्वारा संधारित किया जावेगा. पुरस्कृत प्रविष्टि राज्य शासन की संपत्ति होगी, जो राज्य के संग्रहालय अथवा संबंधित विभाग के प्रदर्शन कक्ष में जनदर्शन हेतु रखी जावेगी.

नया रायपुर, दिनांक 8 जनवरी 2013

क्रमांक-एफ 1-8/03/(6) 52.— राज्य शासन एतद्द्वारा छ.ग. हस्तशिल्प विकास बोर्ड के गठन संबंधी इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 21-07-2004 के बिन्दु क्रमांक "द" में प्रावधानित "बोर्ड के प्रबंध संचालक, ग्रामोद्योग विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव अथवा छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के प्रबंध संचालक ही होंगे" के स्थान पर "बोर्ड के प्रबंध संचालक, ग्रामोद्योग विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव अथवा राज्य शासन द्वारा नियुक्त अधिकारी होंगे" प्रतिस्थापित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**रेजीना टोप्पो**, उप-सचिव.

---

## विधि एवं विधायी कार्य विभाग
### मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 जनवरी 2013

क्र. 577/269/21-ब/छ.ग./2013.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 57/Confdl./2013/I-8-6/2001 (Pt. III) के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 को, निम्न सारणी के कालम-3 में दर्शित जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में विधिक साक्षरता सचिव के पद पर, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाता है :—

| क्रमांक | न्यायिक अधिकारी का नाम | स्थान जहां, विधिक साक्षरता सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पद पर नियुक्ति किया जाना है |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | श्रीमती उषा गदले, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, कवर्धा | कवर्धा |
| 2. | श्री यशवंत वासनीकर, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, कांकेर | कांकेर |
| 3. | श्रीमती प्रतिभा वर्मा, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, धमतरी | धमतरी |
| 4. | श्री दीपक कुमार गुप्ता, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, जगदलपुर | जांजगीर-चांपा |
| 5. | श्री विवेक कुमार तिवारी (जूनियर), प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, सूरजपुर के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश. | अंबिकापुर |
| 6. | श्री श्याम सुन्दर कश्यप, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, दुर्ग के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश. | दंतेवाड़ा |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 7. | श्रीमती ममता पटेल, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, रायपुर | रायगढ़ |
| 8. | श्री अजय सिंह राजपूत, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, रायपुर के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश. | जशपुर |
| 9. | श्री विवेक कुमार वर्मा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, रायपुर के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश. | बैकुण्ठपुर |
| 10. | कु. सुनीता साहू, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, बिलासपुर | राजनांदगांव |
| 11. | कु. निधि शर्मा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, बिलासपुर के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश. | जगदलपुर |
| 12. | श्रीमती तेजेश्वरी देवी देवांगन, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, अंबिकापुर | महासमुंद |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**ए. के. सामन्तराय,** सचिव.

## राजस्व विभाग

### कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 1 दिसम्बर 2012

क्रमांक/3075/भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 1 अ/82 वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल | | | |
| | | | खसरा नं. | रकबा (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | (6) |
| रायपुर | आरंग | दरबा प. ह. नं. 15 | 11 | 0.09 | कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि. सेतु निर्माण संभाग, रायपुर. | दरबा नाला पर उच्चस्तरीय पुल का निर्माण कार्य हेतु. |
| | | | 12 | 0.05 | | |
| | | | 13 | 0.07 | | |
| | | | 14 | 0.02 | | |
| | | **योग** | **4** | **0.23** | | |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग-अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी,** कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 6 दिसम्बर 2012

क्रमांक 8/अ-82/2011-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| बिलासपुर | तखतपुर | भरनी | 0.477 | उप महानिरीक्षक, ग्रुप केन्द्र के. रि. पुलिस बल भरनी. | केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल केम्प निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**राम सिंह,** कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

---

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 20 नवम्बर 2012

क्रमांक/9328/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| राजनांदगांव | डोंगरगांव | बगदई प. ह. नं. 15 | 1.917 | कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव. | सूखानाला बैराज के बगदई डिस्ट्रीब्यूटरी के अंतर्गत नहर नाली निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी (रा.) एवं अनुविभागीय अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 20 नवम्बर 2012

क्रमांक/9329/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| राजनांदगांव | डोंगरगांव | बरसनटोला प. ह. नं. 19 | 2.819 | कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव. | सूखानाला बैराज के बरसनटोला माइनर के अंतर्गत नहर नाली निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी (रा.) एवं अनुविभागीय अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 20 नवम्बर 2012

क्रमांक/9330/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| राजनांदगांव | डोंगरगांव | आरी प. ह. नं. 19 | 1.134 | कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव. | सूखानाला बैराज के अमलीडीह माइनर के अंतर्गत नहर नाली निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी (रा.) एवं अनुविभागीय अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 20 नवम्बर 2012

क्रमांक/9331/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| राजनांदगांव | डोंगरगांव | अर्जुनी प. ह. नं. 22 | 6.468 | कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव. | सूखानाला बैराज के मेढ़ा डिस्ट्रीब्यूटरी के अंतर्गत नहर नाली निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी (रा.) एवं अनुविभागीय अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 20 नवम्बर 2012

क्रमांक/9332/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| राजनांदगांव | डोंगरगांव | मनेरी प. ह. नं. 13 | 1.273 | कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव. | सूखानाला बैराज के मनेरी सब माइनर के अंतर्गत नहर नाली निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी (रा.) एवं अनुविभागीय अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 20 नवम्बर 2012

क्रमांक/9334/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| राजनांदगांव | डोंगरगांव | बगदई प. ह. नं. 15 | 3.835 | कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव. | सूखानाला बैराज के बगदई माइनर के अंतर्गत नहर नाली निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी (रा.) एवं अनुविभागीय अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 20 नवम्बर 2012

क्रमांक/9335/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| राजनांदगांव | डोंगरगांव | अमलीडीह प. ह. नं. 19 | 3.542 | कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव. | सूखानाला बैराज के अमलीडीह माइनर के अंतर्गत नहर नाली निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी (रा.) एवं अनुविभागीय अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**अशोक कुमार अग्रवाल,** कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 31 जनवरी 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 06/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रायगढ़ | खरसिंया | कुनकुनी प. ह. नं. 13 | 29.749 | मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़. | औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू-अर्जन. |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिंया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**अमित कटारिया,** कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

---

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

मुंगेली, दिनांक 12 दिसम्बर 2012

रा.प्र.क्र. 01/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| मुंगेली | पथरिया | परसिया | 4.28 | कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली. | मनियारी बैराज योजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु. |

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

मुंगेली, दिनांक 12 दिसम्बर 2012

रा.प्र.क्र. 02/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| मुंगेली | पथरिया | कन्हरकापा | 2.62 | कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली. | मनियारी बैराज योजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु. |

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

मुंगेली, दिनांक 12 दिसम्बर 2012

रा.प्र.क्र. 09/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| ज़िला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| मुंगेली | पथरिया | टिकैतपेन्ड्री | 7.19 | कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली. | मनियारी बैराज योजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु. |

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

मुंगेली, दिनांक 12 दिसम्बर 2012

रा.प्र.क्र. 10/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| मुंगेली | पथरिया | लुकउकापा | 5.94 | कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली. | मनियारी बैराज योजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु. |

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

मुंगेली, दिनांक 12 दिसम्बर 2012

रा.प्र.क्र. 11/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| मुंगेली | पथरिया | छिन्दभोग | 0.28 | कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली. | छिन्दभोग एनीकट के निर्माण हेतु. |

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

मुंगेली, दिनांक 12 दिसम्बर 2012

रा.प्र.क्र. 12/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| मुंगेली | पथरिया | सकेरी | 0.47 | कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली. | छिन्दभोग एनीकट के निर्माण हेतु. |

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

मुंगेली, दिनांक 12 दिसम्बर 2012

रा.प्र.क्र. 14/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| मुंगेली | पथरिया | दौना | 1.26 | कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली. | मनियारी बैराज योजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु. |

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पथरिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**टी. सी. महावर,** कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 27 नवम्बर 2012

क्रमांक 02/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया हे कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर छ.ग.
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-मेड़पार, प.ह.नं. 33
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.418 हेक्टेयर

| | खसरा नम्बर (1) | रकबा (हेक्टेयर में) (2) |
|---|---|---|
| | 318 | 0.024 |
| | 315/1 | 0.020 |
| | 212/3 | 0.028 |
| | 213/1 | 0.024 |
| | 214/1 | 0.028 |
| | 212/1 | 0.101 |
| | 215 | 0.032 |
| | 216 | 0.040 |
| | 223/2 | 0.121 |
| योग | 9 | 0.418 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अमेरा-पण्डरियाझाप-मेड़पार मार्ग पर मनियारी सेतु के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 22 जनवरी 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/2-अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-सिंघनपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-27.783 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर (1) | रकबा (हेक्टेयर में) (2) |
|---|---|
| 160/1 | 0.405 |
| 160/5 | 0.142 |
| 217 | 0.845 |
| 165 | 0.413 |
| 215/3 | 0.109 |
| 222 | 0.251 |
| 210/1 | 0.133 |
| 232/4 | 0.243 |
| 218/12 | 0.166 |
| 167/2 | 0.158 |
| 166 | 0.06[illegible] |
| 170 | [illegible] |
| 171/2 | [illegible] |
| 220/2 | [illegible] |
| 199/1 | [illegible] |
| 199/2 | 0.43[illegible] |
| 230 | [illegible].769 |
| 218/1 | 0.113 |
| 218/2 | 0.668 |
| 218/11 | 0.210 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 160/3 | 0.202 |
| 164 | 0.239 |
| 231 | 0.522 |
| 233 | 0.575 |
| 215/4 | 0.020 |
| 224 | 0.174 |
| 201/1 | 0.130 |
| 236 | 0.320 |
| 232/5 | 0.139 |
| 202/2 | 0.134 |
| 168 | 0.040 |
| 171/1 | 0.253 |
| 209/2 | 0.162 |
| 232/2 | 0.129 |
| 219 | 1.137 |
| 202/1 | 0.121 |
| 220/1 | 0.170 |
| 218/5 | 0.105 |
| 218/3 | 0.227 |
| 218/13 | 0.122 |
| 160/2 | 0.938 |
| 191 | 0.255 |
| 228/3 | 0.081 |
| 215/1 | 0.121 |
| 215/6 | 0.039 |
| 227 | 0.360 |
| 210/2 | 0.073 |
| 218/4 | 0.291 |
| 176 | 2.829 |
| 212/2 | 0.251 |
| 167/1 | 0.158 |
| 209/3 | 0.020 |
| 209/1 | 0.401 |
| 234 | 0.368 |
| 235 | 0.571 |
| 212/1 | 0.093 |
| 218/14 | 0.122 |
| 218/7 | 0.304 |
| 218/6 | 0.304 |
| 215/9 | 0.038 |
| 160/4 | 0.425 |
| 213 | 0.559 |
| 228/5 | 0.161 |
| 215/7 | 0.234 |
| 215/8 | 0.046 |
| 159 | 0.721 |
| 201/2 | 0.129 |
| 218/8 | 0.202 |
| 229 | 0.486 |
| 161 | 0.809 |
| 169 | 0.474 |
| 211 | 0.142 |
| 232/3 | 0.157 |
| 192 | 0.219 |
| 193 | 1.307 |
| 216 | 0.575 |
| 232/1 | 0.101 |
| 218/9 | 0.275 |
| 218/10 | 0.105 |
| 215/10 | 0.047 |
| योग 80 | 27.783 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-औद्योगिक प्रयोजनार्थ.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**अमित कटारिया,** कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

---

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 12 मार्च 2012

क्रमांक/2676/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

**(1) भूमि का वर्णन-**
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगांव
- (ग) नगर/ग्राम-साल्हे, प.ह.नं. 20
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.164 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 25/3 | 0.218 |
| 26 | 0.093 |
| 122/1 | 0.073 |
| 72 | 0.049 |
| 70/3 | 0.028 |
| 30/1 | 0.036 |
| 54 | 0.089 |
| 66/4 | 0.004 |
| 69/1 | 0.049 |
| 30/2 | 0.028 |
| 30/3 | 0.045 |
| 69/4 | 0.012 |
| 30/4 | 0.061 |
| 69/2 | 0.012 |
| 70/2 | 0.036 |
| 71 | 0.057 |
| 124/4 | 0.004 |
| 70/1 | 0.024 |
| 69/3 | 0.012 |
| 53/1 | 0.049 |
| 53/2 | 0.101 |
| 138/2 | 0.150 |
| 119/4 | 0.057 |
| 122/2 | 0.113 |
| 124/22 | 0.273 |
| 125 | 0.016 |
| 126/1 | 0.194 |
| 126/2 | 0.012 |
| 127/6 | 0.093 |
| 127/11 | 0.081 |
| 127/2 | 0.004 |
| 124/13 | 0.008 |
| 127/15 | 0.032 |
| 127/7 | 0.121 |
| 145 | 0.089 |
| 148 | 0.069 |
| 146/6 | 0.194 |
| 147 | 0.024 |
| 146/4 | 0.045 |
| 146/5 | 0.073 |
| 162/6 | 0.004 |
| 127/3 | 0.125 |
| 127/13 | 0.008 |
| 127/9 | 0.113 |
| 127/9क | 0.162 |
| 25/1 | 0.004 |
| 51/3 | 0.020 |
| योग 47 | 3.164 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सूखानाला बैराज के साल्हे माइनर के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 12 मार्च 2012

क्रमांक/2678/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगांव
- (ग) नगर/ग्राम-खैरी, प.ह.नं. 07
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.345 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 269 | 0.093 |
| 336 | 0.117 |
| 337/1 | 0.016 |
| 401/3 | 0.036 |
| 387/10 | 0.040 |
| 340/1 | 0.004 |
| 343/2 | 0.065 |
| 395/3 | 0.057 |
| 340/2 | 0.040 |
| 341 | 0.012 |
| 339/2 | 0.032 |
| 343/1 | 0.008 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 343/3 | 0.045 |
| 344/1 | 0.008 |
| 400/3 | 0.190 |
| 355 | 0.085 |
| 281/5 | 0.262 |
| 384 | 0.049 |
| 385/1 | 0.024 |
| 385/2 | 0.016 |
| 386 | 0.182 |
| 281/3 | 0.004 |
| 281/4 | 0.004 |
| 387/7 | 0.016 |
| 387/8 | 0.028 |
| 394/1 | 0.032 |
| 414/1 | 0.057 |
| 267 | 0.097 |
| 266 | 0.097 |
| 395/2 | 0.032 |
| 400/5 | 0.040 |
| 400/2 | 0.004 |
| 412/1 | 0.125 |
| 414/2 | 0.065 |
| 417/5 | 0.049 |
| 418 | 0.032 |
| 419 | 0.012 |
| 436/8 | 0.081 |
| 436/5 | 0.016 |
| 416/1 | 0.016 |
| 416/2 | 0.024 |
| 417/2 | 0.040 |
| 342 | 0.020 |
| 356/1 | 0.073 |
| योग 44 | 2.345 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सूखानाला बैराज के खैरी माइनर के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 12 मार्च 2012

क्रमांक/2680/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगांव
- (ग) नगर/ग्राम-घुघवा, प.ह.नं. 20
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.859 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर (1) | रकबा (हेक्टेयर में) (2) |
|---|---|
| 124/5 | 0.057 |
| 124/4 | 0.129 |
| 133/10 | 0.041 |
| 133/8 | 0.007 |
| 133/9 | 0.053 |
| 151/2 | 0.061 |
| 151/1 | 0.117 |
| 152/1 | 0.073 |
| 152/2 | 0.073 |
| 153 | 0.153 |
| 161/2 | 0.020 |
| 154/3 | 0.097 |
| 154/1 | 0.004 |
| 155 | 0.004 |
| 159 | 0.061 |
| 154/2 | 0.028 |
| 156/3 | 0.016 |
| 156/1 | 0.020 |
| 156/2 | 0.024 |
| 157/1 | 0.020 |
| 157/2 | 0.016 |
| 158 | 0.032 |
| 160 | 0.049 |
| 148/6 | 0.028 |
| 166/4 | 0.057 |
| 166/5 | 0.024 |
| 166/6 | 0.020 |

| | (1) | (2) |
|---|---|---|
| | 165/1 | 0.028 |
| | 162 | 0.036 |
| | 161/1 | 0.024 |
| | 163/1 | 0.020 |
| | 166/3 | 0.057 |
| | 164 | 0.024 |
| | 187/5 | 0.036 |
| | 167 | 0.061 |
| | 168 | 0.053 |
| | 189/4 | 0.065 |
| | 189/3 | 0.004 |
| | 188/1 | 0.061 |
| | 188/2 | 0.049 |
| | 187/6 | 0.057 |
| योग | 41 | 1.859 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सूखानाला बैराज के साल्हे माइनर के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी,** कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

---

राजनांदगांव, दिनांक 29 अक्टूबर 2012

क्रमांक/8943/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगांव
- (ग) नगर/ग्राम-गनेरी, प.ह.नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.589 हेक्टेयर

| | खसरा नम्बर (1) | रकबा (हेक्टेयर में) (2) |
|---|---|---|
| | 111/2 | 0.032 |
| | 113/1 | 0.024 |
| | 136 | 0.089 |
| | 123 | 0.170 |
| | 135/2 | 0.045 |
| | 30/2 | 0.085 |
| | 126/1 | 0.016 |
| | 126/2 | 0.129 |
| | 30/1 | 0.032 |
| | 126/3 | 0.049 |
| | 135/3 | 0.137 |
| | 135/4 | 0.142 |
| | 135/1 | 0.146 |
| | 138/1 | 0.065 |
| | 19/2 | 0.258 |
| | 20/1-2 | 0.162 |
| | 21/1 | 0.008 |
| योग | 17 | 1.589 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सूखानाला बैराज के गनेरी माइनर के अन्तर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 29 अक्टूबर 2012

क्रमांक/8945/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगांव
- (ग) नगर/ग्राम-कोपेडीह, प.ह.नं. 07
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.737 हेक्टेयर

| | खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|---|
| | (1) | (2) |
| | 320/1 | 0.193 |
| | 259/2 | 0.117 |
| | 260/1 | 0.113 |
| | 261/1 | 0.065 |
| | 260/2 | 0.004 |
| | 259/1 | 0.121 |
| | 265/1 | 0.150 |
| | 252 | 0.024 |
| | 244/2, 247/2 | 0.045 |
| | 244/3, 247/3 | 0.138 |
| | 249/1 | 0.109 |
| | 248 | 0.024 |
| | 257 | 0.008 |
| | 329 | 0.113 |
| | 330/3 | 0.069 |
| | 330/7 | 0.008 |
| | 333 | 0.020 |
| | 334/1 | 0.222 |
| | 335/1 | 0.097 |
| | 349/2 | 0.077 |
| | 330/15 | 0.020 |
| योग | 21 | 1.737 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सूखानाला बैराज के कोपेडीह माइनर के अन्तर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 29 अक्टूबर 2012

क्रमांक/8946/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगांव
- (ग) नगर/ग्राम-मचानपार, प.ह.नं. 06
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.353 हेक्टेयर

| | खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|---|
| | (1) | (2) |
| | 63/1 | 0.024 |
| | 64 | 0.113 |
| | 65/1 | 0.008 |
| | 69/1 | 0.020 |
| | 69/2 | 0.117 |
| | 77/2 | 0.020 |
| | 78 | 0.069 |
| | 79 | 0.036 |
| | 80/2 | 0.032 |
| | 77/3 | 0.008 |
| | 80/1 | 0.073 |
| | 81/2 | 0.093 |
| | 88/1 | 0.057 |
| | 90/2 | 0.004 |
| | 83/2 | 0.016 |
| | 89/2 | 0.040 |
| | 91/5 | 0.008 |
| | 89/1 | 0.040 |
| | 107/1 | 0.028 |
| | 88/2 | 0.061 |
| | 107/2 | 0.049 |
| | 108/6 | 0.150 |
| | 108/8 | 0.004 |
| | 108/9 | 0.146 |
| | 83/1 | 0.020 |
| | 90/1 | 0.105 |
| | 81/3 | 0.012 |
| योग | 27 | 1.353 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सूखानाला बैराज के कोपेडीह माइनर के अन्तर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 29 अक्टूबर 2012

क्रमांक/8947/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगांव
- (ग) नगर/ग्राम-धौंराभांठा, प.ह.नं. 06
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.756 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर<br>(1) | रकबा (हेक्टेयर में)<br>(2) |
|---|---|
| 363, 364 | 0.137 |
| 362 | 0.121 |
| 356/6 | 0.096 |
| 356/24 | 0.016 |
| 531 | 0.073 |
| 357/2 | 0.177 |
| 499/3 | 0.020 |
| 500/2 | 0.117 |
| 501/1 | 0.053 |
| 501/2 | 0.105 |
| 503/7 | 0.065 |
| 503/6 | 0.077 |
| 503/2 | 0.004 |
| 503/1 | 0.137 |
| 504 | 0.016 |
| 505 | 0.101 |
| 510/3 | 0.024 |
| 536 | 0.065 |
| 535 | 0.016 |
| 538 | 0.105 |
| 539 | 0.065 |
| 542/1 | 0.049 |
| 540, 541 | 0.081 |
| 537/1 | 0.036 |
| योग 24 | 1.756 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सूखानाला बैराज के केसला मेन माइनर के अन्तर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 29 अक्टूबर 2012

क्रमांक/8948/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगांव
- (ग) नगर/ग्राम-बीजाभांठा, प.ह.नं. 21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.490 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर<br>(1) | रकबा (हेक्टेयर में)<br>(2) |
|---|---|
| 559/1 | 0.057 |
| 558/2 | 0.077 |
| 559/2 | 0.004 |
| 559/3 | 0.073 |
| 443/1 | 0.077 |
| 558/1 | 0.202 |
| 557/1 | 0.008 |
| 587 | 0.061 |
| 586/2 | 0.101 |
| 563/1 | 0.004 |
| 583/1 | 0.142 |
| 585 | 0.045 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 584/5 | 0.004 |
| 584/1 | 0.008 |
| 584/2 | 0.121 |
| 583/2 | 0.041 |
| 584/3 | 0.004 |
| 604/2 | 0.008 |
| 769/1 | 0.041 |
| 769/3 | 0.089 |
| 769/2 | 0.170 |
| 769/4 | 0.065 |
| 769/5 | 0.049 |
| 786/2 | 0.016 |
| 766/2 | 0.016 |
| 786/3 | 0.041 |
| 793 | 0.262 |
| 795/1 | 0.008 |
| 796 | 0.016 |
| 797/1 | 0.101 |
| 785 | 0.004 |
| 765 | 0.065 |
| 798 | 0.069 |
| 800/3 | 0.012 |
| 802 | 0.045 |
| 807 | 0.053 |
| 808 | 0.069 |
| 800/2 | 0.004 |
| 801 | 0.077 |
| 806 | 0.036 |
| 803 | 0.028 |
| 804 | 0.004 |
| 810/5 | 0.008 |
| 799/1 | 0.008 |
| 799/2 | 0.085 |
| 766/1 | 0.012 |
| योग 46 | 2.490 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सूखानाला बैराज के सुखरी माइनर के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 4 दिसम्बर 2012

क्रमांक/9680/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगांव
- (ग) नगर/ग्राम-मनेरी, प.ह.नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.965 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 6/1 | 0.243 |
| 150 | 0.020 |
| 36/1 | 0.012 |
| 36/3 | 0.057 |
| 36/2 | 0.057 |
| 35/4 | 0.041 |
| 35/2 | 0.041 |
| 34/1 | 0.028 |
| 40 | 0.041 |
| 33 | 0.137 |
| 30/1 | 0.125 |
| 43/1 | 0.065 |
| 43/2 | 0.028 |
| 45 | 0.093 |
| 44/2 | 0.077 |
| 44/4 | 0.097 |
| 44/3 | 0.004 |
| 49/2 | 0.162 |
| 49/8 | 0.045 |
| 60 | 0.162 |
| 264/6 | 0.036 |
| 264/3 | 0.089 |
| 265/1 | 0.077 |
| 264/10 | 0.077 |
| 264/7 | 0.028 |
| 264/5 | 0.065 |
| 266/1 | 0.004 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 266/2 | 0.004 |
| 7/1 | 0.012 |
| 44/6 | 0.049 |
| 262/1 | 0.012 |
| 262/3 | 0.012 |
| 262/2 | 0.036 |
| 262/5 | 0.036 |
| 276/4 | 0.004 |
| 366/1 | 0.077 |
| 365/1 | 0.113 |
| 365/3 | 0.077 |
| 371/3 | 0.016 |
| 371/1 | 0.061 |
| 371/4 | 0.073 |
| 371/5 | 0.012 |
| 276/5 | 0.065 |
| 271/1 | 0.065 |
| 271/3 | 0.290 |
| 269/2 | 0.036 |
| 271/2 | 0.004 |
| योग 47 | 2.965 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सूखानाला बैराज के मनेरी माइनर के अन्तर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**अशोक कुमार अग्रवाल,** कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

---

# विभाग प्रमुखों के आदेश

## कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड
बीज भवन, जी. ई. रोड, तेलीबांधा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 जनवरी 2013

क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2012-13/6816.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2011-12/3080 रायपुर, दिनांक 23-08-2011 द्वारा श्री वाय. आर. बांगड़े, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, नगरी को कृषि उपज मण्डी समिति, नगरी का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

संयुक्त संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन बोर्ड संभागीय कार्यालय रायपुर के पत्र क्रमांक/मंडी/बी-4/1/भा.सा.अधि./2012-13/4524 दिनांक 15-01-2013 द्वारा श्री आर. के. चन्द्रा, कृषि विकास अधिकारी, नगरी को कृषि उपज मंडी समिति, नगरी का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अतः छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा 1 के खण्ड 'ख' में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री वाय. आर. बांगड़े, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, नगरी का स्थानांतरण होने के कारण उनके स्थान पर श्री आर. के. चन्द्रा, कृषि विकास अधिकारी, नगरी को, उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति, नगरी का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

**ए. एन. मिश्रा,**
प्रबंध संचालक.

# कार्यालय, सक्षम अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), रायगढ़ (छ.ग.)

रायगढ़, दिनांक 23 जनवरी 2013

## प्रारूप-ख
[ नियम 5 (1) देखिये ]

क्रमांक 1688 बी 121/12-13.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम देवरी, प.ह.नं. 05, तह. एवं जिला रायगढ़ छ.ग. से परिवहन हेतु ग्राम-देवरी डुमरपाली, प.ह.नं. 05, तह. एवं जिला रायगढ़ छ.ग. तक मेसर्स वीसा पावर लिमिटेड, ग्राम देवरी डुमरपाली द्वारा भूमिगत पाईपलाईन बिछाई जानी है,

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम-देवरी, प.ह.नं. 05, तह. एवं जिला रायगढ़ की भूमि का जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा, छ.ग. भूमिगत पाईपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

### अनुसूची

| जिला | तहसील | ग्राम/प.ह.नं. | खसरा नंबर | उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | हेक्टेयर में | एकड़ में |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रायगढ़ | रायगढ़ | देवरी/05 | 200/1 | 0.045 | 0.11 |
| | | | 200/3, 200/5 | 0.097 | 0.24 |
| | | | 311/1, 311/2 | 0.093 | 0.23 |
| | | | 214 | 0.04 | 0.1 |
| | | | 218/2 | 0.061 | 0.15 |
| | | | 268/1, 268/2, 268/5, 268/3, 268/6, 268/4 | 0.158 | 0.39 |
| | | | 267/1 | 0.182 | 0.45 |
| | | | 305, 307 | 0.024 | 0.06 |
| | | | 304 | 0.085 | 0.21 |
| | | | 303/2, 303/4 | 0.049 | 0.12 |
| | | | 303/1 | 0.04 | 0.1 |
| | | | 303/3 | 0.032 | 0.08 |
| | | | 301/1, 301/2 | 0.012 | 0.03 |
| | | | 335/1, 335/2 | 0.109 | 0.27 |
| | | | 306 | 0.016 | 0.04 |
| | | | 337/18 | 0.008 | 0.02 |
| | | | 334/3, 334/6, 334/24, 334/25 | 0.008 | 0.02 |
| | | | 334/2, 334/5 | 0.032 | 0.08 |
| | | | 334/1, 334/4 | 0.024 | 0.06 |
| | | | 337/16 | 0.053 | 0.13 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 337/14 | 0.049 | 0.12 |
| | | | 373, 375/3, 375/4 | 0.02 | 0.05 |
| | | | 313/3 | 0.024 | 0.06 |
| | | | 381/2 | 0.121 | 0.3 |
| | | | 375/2, 374, 375/1 | 0.138 | 0.34 |
| | | | 382/1 | 0.069 | 0.17 |
| | | | 398 | 0.024 | 0.06 |
| | | | 402/2, 403/4, 383, 402/3, 403/5 | 0.287 | 0.71 |
| | | | 400 | 0.117 | 0.29 |
| | | **कुल खसरा संख्या** | **51** | **2.017** | **4.98** |

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 के उप धारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के 21 दिवस (इक्कीस दिवस) के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायगढ़ छ.ग. को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

**टीप :—**

1. भूमि के नीचे पाईपलाईन बिछाए जाने के संबंध में नक्शा एवं नस्ती कार्यालय सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़ जिला रायगढ़ (छ.ग.) में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 23 जनवरी 2013

प्रारूप-ख

[ नियम 5 (1) देखिये ]

क्रमांक 1689 बी 121/12-13.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम कुलबा, प.ह.नं. 15, तह. एवं जिला रायगढ़ छ.ग. से परिवहन हेतु ग्राम-देवरी डुमरपाली, प.ह.नं. 05, तह. एवं जिला रायगढ़ छ.ग. तक मेसर्स वीसा पावर लिमिटेड, ग्राम देवरी डुमरपाली द्वारा भूमिगत पाईपलाईन बिछाई जानी है,

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम-कुलबा, प.ह.नं. 15, तह. एवं जिला रायगढ़ की भूमि का जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा, छ.ग. भूमिगत पाईपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

अनुसूची

| जिला | तहसील | ग्राम/प.ह.नं. | खसरा नंबर | उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | हेक्टेयर में | एकड़ में |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रायगढ़ | रायगढ़ | कुलबा, 15 | 121/1 | 0.089 | 0.22 |
| | | | 115/1 | 0.012 | 0.03 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 89 | 0.057 | 0.14 |
| | | | 47/1 | 0.020 | 0.05 |
| | | | 46/2 | 0.016 | 0.04 |
| | | | 117/1 | 0.016 | 0.04 |
| | | | 114/1 | 0.020 | 0.05 |
| | | | 113/1 | 0.012 | 0.03 |
| | | | 84 | 0.020 | 0.05 |
| | | | 83 | 0.008 | 0.02 |
| | | | 208 | 0.016 | 0.04 |
| | | | 85/1 | 0.020 | 0.05 |
| | | | 43/2 | 0.040 | 0.10 |
| | | | 87 | 0.045 | 0.11 |
| | | | 57 | 0.02 | 0.05 |
| | | | 41, 42 | 0.008 | 0.02 |
| | | | 43/1 | 0.006 | 0.01 |
| | | | 116/1 | 0.012 | 0.03 |
| | | | 44/1 | 0.04 | 0.10 |
| | | | 211 | 0.008 | 0.02 |
| | | | 193 | 0.004 | 0.01 |
| | | | 194 | 0.036 | 0.09 |
| | | | 207 | 0.012 | 0.03 |
| | | | 209 | 0.016 | 0.04 |
| | | | 212/1 | 0.065 | 0.16 |
| | | | 213 | 0.04 | 0.10 |
| | | | 220 | 0.04 | 0.10 |
| | | | 246 | 0.02 | 0.05 |
| | | | 247 | 0.061 | 0.15 |
| | | | 245 | 0.028 | 0.07 |
| | | | 248 | 0.024 | 0.06 |
| | | | 249 | 0.020 | 0.05 |
| | | | 251 | 0.045 | 0.11 |
| | | | 252 | 0.202 | 0.50 |
| | | | 203 | 0.008 | 0.02 |
| | | | 206 | 0.016 | 0.04 |
| | | | 47/2 | 0.04 | 0.10 |
| | | | 58 | 0.012 | 0.03 |
| | | | 29 | 0.004 | 0.01 |
| | | | 90 | 0.016 | 0.04 |
| | | | 119/1 | 0.008 | 0.02 |
| | | | 253 | 0.004 | 0.01 |
| | | **कुल खसरा संख्या** | **42** | **1.206** | **2.98** |

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 के उप धारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के 21 दिवस (इक्कीस दिवस) के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायगढ़ छ.ग. को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

**टीप :—**

1. भूमि के नीचे पाईपलाईन बिछाए जाने के संबंध में नक़्शा एवं नस्ती कार्यालय सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़ जिला रायगढ़ (छ.ग.) में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 23 जनवरी 2013

प्रारूप-ख

[ नियम 5 (1) देखिये ]

क्रमांक 1690 बी 121/12-13.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतात होता है कि ग्गमं रानीगुड़ा, प.ह.नं. 12, तह. एवं जिला रायगढ़ छ.ग. से परिवहन हेतु ग्राम-देवरी डुमरपाली, प.ह.नं. 05, तह. एवं जिला रायगढ़ छ.ग. तक मेसर्स वीसा पावर लिमिटेड, ग्राम देवरी डुमरपाली द्वारा भूमिगत पाईपलाईन बिछाई जानी है,

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम-रानीगुड़ा, प.ह.नं. 12, तह. एवं जिला रायगढ़ की भूमि का जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा, छ.ग. भूमिगत पाईपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

अनुसूची

| जिला | तहसील | ग्राम/प.ह.नं. | खसरा नंबर | उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | हेक्टेयर में | एकड़ में |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रायगढ़ | रायगढ़ | रानीगुड़ा/12 | 216/1क, 217/1क | 0.036 | 0.09 |
| | | | 216/2, 217/2 | 0.121 | 0.30 |
| | | | 263/4ख | 0.012 | 0.03 |
| | | | 237/3 | 0.024 | 0.06 |
| | | | 300/1क/1 | 0.012 | 0.03 |
| | | | 530/1 | 0.040 | 0.10 |
| | | | 530/2, 569/2 | 0.012 | 0.03 |
| | | | 563 | 0.040 | 0.10 |
| | | | 537/2 | 0.008 | 0.02 |
| | | | 538/1 | 0.032 | 0.08 |
| | | | 540/2 | 0.049 | 0.12 |
| | | | 357/3 | 0.020 | 0.05 |
| | | | 237/2 | 0.061 | 0.15 |
| | | | 263/1क | 0.028 | 0.07 |
| | | | 263/2ख | 0.016 | 0.04 |
| | | | 361/1ग | 0.024 | 0.06 |
| | | | 522/8, 531/8 | 0.040 | 0.10 |
| | | | 239/2 | 0.012 | 0.03 |
| | | | 263/2क | 0.020 | 0.05 |
| | | | 351/2ख/2 | 0.020 | 0.05 |
| | | | 352/4ख | 0.008 | 0.02 |
| | | | 555/4 | 0.008 | 0.02 |
| | | | 360/1 | 0.028 | 0.07 |
| | | | 264 | 0.040 | 0.10 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 265 | 0.024 | 0.06 |
| | | | 266 | 0.012 | 0.03 |
| | | | 337 | 0.040 | 0.10 |
| | | | 299/1ख | 0.081 | 0.20 |
| | | | 299/2 | 0.020 | 0.05 |
| | | | 338/2 | 0.053 | 0.13 |
| | | | 237/1 | 0.061 | 0.15 |
| | | | 354 | 0.012 | 0.03 |
| | | | 359 | 0.069 | 0.17 |
| | | | 339 | 0.049 | 0.12 |
| | | | 542 | 0.016 | 0.04 |
| | | | 529/2 | 0.028 | 0.07 |
| | | | 361/1ङ | 0.020 | 0.05 |
| | | | 361/1क | 0.024 | 0.06 |
| | | | 529/1 | 0.012 | 0.03 |
| | | | 353/1 | 0.016 | 0.04 |
| | | | 527/1 | 0.040 | 0.10 |
| | | | 560/2 | 0.061 | 0.15 |
| | | | 541 | 0.073 | 0.18 |
| | | | 358 | 0.012 | 0.03 |
| | | | 556 | 0.008 | 0.02 |
| | | | 560/1 | 0.012 | 0.03 |
| | | | 564 | 0.008 | 0.02 |
| | | | 561/3, 562 | 0.028 | 0.07 |
| | | | 554/2क | 0.061 | 0.15 |
| | | | 539/2 | 0.040 | 0.10 |
| | | | 360/2 | 0.028 | 0.07 |
| | | | 351/2ग | 0.020 | 0.05 |
| | | | 505/4. | 0.008 | 0.02 |
| | | | 505/5 | 0.008 | 0.02 |
| | | | 361/1घ | 0.032 | 0.08 |
| | | | 361/1च | 0.057 | 0.14 |
| | | | 362/3 | 0.004 | 0.01 |
| | | | 338/1 | 0.040 | 0.10 |
| | | | 351/2क | 0.016 | 0.04 |
| | | | 561/2 | 0.024 | 0.06 |
| | | | 352/3 | 0.016 | 0.04 |
| | | | 352/1 | 0.016 | 0.04 |
| | | | 352/4क | 0.016 | 0.04 |
| | | **कुल खसरा संख्या** | **63** | **1.876** | **4.64** |

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 के उप धारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के 21 दिवस (इक्कीस दिवस) के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायगढ़ छ.ग. को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

**टीप :—**

1 भूमि के नीचे पाईपलाईन बिछाए जाने के संबंध में नक्शा एवं नस्ती कार्यालय सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़ जिला रायगढ़ (छ.ग.) में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 23 जनवरी 2013

प्रारूप-ख

[ नियम 5 (1) देखिये ]

क्रमांक 1691/बी 121/12-13.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम सरड़ामाल, प.ह.नं. 13, तह. एवं जिला रायगढ़ छ.ग. से परिवहन हेतु ग्राम-देवरी डुमरपाली, प.ह.नं. 05, तह. एवं जिला रायगढ़ छ.ग. तक मेसर्स वीसा पावर लिमिटेड, ग्राम देवरी डुमरपाली द्वारा भूमिगत पाईपलाईन बिछाई जानी है,

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम-सरड़ामाल, प.ह.नं. 13, तह. एवं जिला रायगढ़ की भूमि का जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा, छ.ग. भूमिगत पाईपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

अनुसूची

| जिला | तहसील | ग्राम/प.ह.नं. | खसरा नंबर | उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | हेक्टेयर में | एकड़ में |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रायगढ़ | रायगढ़ | सरड़ामाल/13 | 86/1ख | 0.020 | 0.05 |
| | | | 124/2 | 0.162 | 0.40 |
| | | | 86/2 | 0.020 | 0.05 |
| | | | 16/4 | 0.020 | 0.05 |
| | | | 22/1 | 0.065 | 0.16 |
| | | | 22/2क | 0.008 | 0.02 |
| | | | 16/2 | 0.008 | 0.02 |
| | | | 127/2 | 0.040 | 0.10 |
| | | | 127/3 | 0.040 | 0.10 |
| | | | 17 | 0.036 | 0.09 |
| | | | 126 | 0.049 | 0.12 |
| | | | 21 | 0.061 | 0.15 |
| | | | 36 | 0.061 | 0.15 |
| | | | 33/1, 35/1 | 0.045 | 0.11 |
| | | | 127/1 | 0.061 | 0.15 |
| | | | 125/1ग | 0.008 | 0.02 |
| | | | 125/1घ | 0.008 | 0.02 |
| | | | 145/3 | 0.061 | 0.15 |
| | | | 20/1क, 20/1द | 0.057 | 0.14 |
| | | | 128/3क | 0.069 | 0.17 |
| | | | 28/2, 33/2, 29/2क, 34/1 | 0.174 | 0.43 |
| | | | 144 | 0.061 | 0.15 |
| | | | 28/1, 29/1, 30/3, 33/3 ख 34/2, 35/2 | 0.008 | 0.02 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 145/1 | 0.057 | 0.14 |
| | | | 16/3 | 0.012 | 0.03 |
| | | | 124/1ज | 0.057 | 0.14 |
| | | | 124/1ङ | 0.049 | 0.12 |
| | | | 143 | 0.008 | 0.02 |
| | | कुल खसरा संख्या | 28 | 1.325 | 3.27 |

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 के उप धारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के 21 दिवस (इक्कीस दिवस) के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायगढ़ छ.ग. को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

**टीप :—**

1. भूमि के नीचे पाईपलाईन बिछाए जाने के संबंध में नक्शा एवं नस्ती कार्यालय सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़ जिला रायगढ़ (छ.ग.) में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 23 जनवरी 2013

## प्रारूप-ख

[ नियम 5 (1) देखिये ]

क्रमांक 1692 बी 121/12-13.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम नन्देली, प.ह.नं. 13, तह. एवं जिला रायगढ़ छ.ग. से परिवहन हेतु ग्राम-देवरी डुमरपाली, प.ह.नं. 05, तह. एवं जिला रायगढ़ छ.ग. तक मेसर्स वीसा पावर लिमिटेड, ग्राम देवरी डुमरपाली द्वारा भूमिगत पाईपलाईन बिछाई जानी है,

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम-नन्देली, प.ह.नं. 13, तह. एवं जिला रायगढ़ की भूमि का जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा, छ.ग. भूमिगत पाईपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

## अनुसूची

| जिला | तहसील | ग्राम/प.ह.नं. | खसरा नंबर | उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | हेक्टेयर में | एकड़ में |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रायगढ़ | रायगढ़ | नन्देली/13 | 553/1 | 0.008 | 0.02 |
| | | | 557/1 | 0.004 | 0.01 |
| | | | 691/10 | 0.170 | 0.42 |
| | | | 769 | 0.008 | 0.02 |
| | | | 720/1 | 0.020 | 0.05 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 311/1 | 0.008 | 0.02 |
| | | | 691/11ग | 0.061 | 0.15 |
| | | | 306/1क | 0.024 | 0.06 |
| | | | 306/1ठ | 0.024 | 0.06 |
| | | | 306/1ढ | 0.016 | 0.04 |
| | | | 691/8झ | 0.097 | 0.24 |
| | | | 306/2ख | 0.057 | 0.14 |
| | | | 760/1 | 0.109 | 0.27 |
| | | | 554/1 | 0.008 | 0.02 |
| | | | 680/3क | 0.085 | 0.21 |
| | | | 770 | 0.016 | 0.04 |
| | | | 687/1 | 0.012 | 0.03 |
| | | | 688/1क | 0.012 | 0.03 |
| | | | 543/1ख | 0.089 | 0.22 |
| | | | 771/1 | 0.008 | 0.02 |
| | | | 541/2क | 0.045 | 0.11 |
| | | | 542/2 | 0.040 | 0.10 |
| | | | 720/3क | 0.020 | 0.05 |
| | | | 691/13 | 0.008 | 0.02 |
| | | | 546/2 | 0.032 | 0.08 |
| | | | 306/5क | 0.053 | 0.13 |
| | | | 306/5ख | 0.053 | 0.13 |
| | | | 306/5घ | 0.004 | 0.01 |
| | | | 691/12 | 0.024 | 0.06 |
| | | | 516/2क | 0.016 | 0.04 |
| | | | 518 | 0.032 | 0.08 |
| | | | 747/1क | 0.008 | 0.02 |
| | | | 814/1 | 0.214 | 0.53 |
| | | | 313/2क, 314 | 0.008 | 0.02 |
| | | | 540 | 0.004 | 0.01 |
| | | | 521/2 | 0.020 | 0.05 |
| | | | 747/2, 752/2 | 0.061 | 0.15 |
| | | | 719/2 | 0.008 | 0.02 |
| | | | 312 | 0.069 | 0.17 |
| | | | 558/1 | 0.032 | 0.08 |
| | | | 773/1 | 0.004 | 0.01 |
| | | | 812/1क | 0.085 | 0.21 |
| | | | 812/2क | 0.028 | 0.07 |
| | | | 808/1 | 0.012 | 0.03 |
| | | | 745/1 | 0.045 | 0.11 |
| | | | 519/1क | 0.166 | 0.41 |
| | | | 544/1 | 0.004 | 0.01 |
| | | | 743/2 | 0.016 | 0.04 |
| | | | 720/4 | 0.028 | 0.07 |
| | | | 744/1 | 0.085 | 0.21 |
| | | | 517/1 | 0.028 | 0.07 |
| | | | 744/2 | 0.085 | 0.21 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 542/1 | 0.040 | 0.10 |
| | | | 545/1 | 0.036 | 0.09 |
| | | | 520/1 | 0.093 | 0.23 |
| | | | 306/1च | 0.016 | 0.04 |
| | | | 306/1झ | 0.032 | 0.08 |
| | | | 306/1ञ | 0.024 | 0.06 |
| | | | 306/1ट | 0.024 | 0.06 |
| | | | 311/2 | 0.008 | 0.02 |
| | | | 691/8ज | 0.016 | 0.04 |
| | | | 541/1 | 0.045 | 0.11 |
| | | | 720/6 | 0.073 | 0.18 |
| | | | 310/2 | 0.004 | 0.01 |
| | | | 681/2 | 0.073 | 0.18 |
| | | | 680/4क | 0.004 | 0.01 |
| | | | 306/4ग | 0.032 | 0.08 |
| | | | 720/2, 723/3 | 0.069 | 0.17 |
| | | | 811/2 | 0.020 | 0.05 |
| | | | 811/1 | 0.028 | 0.07 |
| | | | [illegible]7/2 | 0.008 | 0.02 |
| | | | 752/1क | 0.053 | 0.13 |
| | | | 558/2 | 0.032 | 0.08 |
| | | | 543/2 | 0.069 | 0.17 |
| | | | 543/3 | 0.069 | 0.17 |
| | | | 720/4 | 0.020 | 0.05 |
| | | | 718/2झ | 0.008 | 0.02 |
| | | | 812/2ङ | 0.012 | 0.03 |
| | | | 814/3 | 0.012 | 0.03 |
| | | | 743/1 | 0.040 | 0.10 |
| | | | 773/1ग | 0.012 | 0.03 |
| | | | 773/1घ | 0.012 | 0.03 |
| | | | 814/2, 814/4, 814/6 | 0.040 | 0.10 |
| | | | 772/2 | 0.040 | 0.10 |
| | | | 742/1 | 0.020 | 0.05 |
| | | **कुल खसरा संख्या** | **87** | **3.257** | **8.05** |

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 के उप धारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के 21 दिवस (इक्कीस दिवस) के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायगढ़ छ.ग. को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

**टीप :—**

1. भूमि के नीचे पाईपलाईन बिछाए जाने के संबंध में नक्शा एवं नस्ती कार्यालय सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़ जिला रायगढ़ (छ.ग.) में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 23 जनवरी 2013

प्रारूप-ख

[ नियम 5 (1) देखिये ]

क्रमांक 1693 बी 121/12-13.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम अरसीपाली, प.ह.नं. 14, तह. एवं जिला रायगढ़ छ.ग. से परिवहन हेतु ग्राम-देवरी डुमरपाली, प.ह.नं. 05, तह. एवं जिला रायगढ़ छ.ग. तक मेसर्स वीसा पावर लिमिटेड, ग्राम देवरी डुमरपाली द्वारा भूमिगत पाईपलाईन बिछाई जानी है,

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम-अरसीपाली, प.ह.नं. 14, तह. एवं जिला रायगढ़ की भूमि का जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा, छ.ग. भूमिगत पाईपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

अनुसूची

| जिला | तहसील | ग्राम/प.ह.नं. | खसरा नंबर | उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | हेक्टेयर में | एकड़ में |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रायगढ़ | रायगढ़ | अरसीपाली/14 | 249/2ख | 0.028 | 0.07 |
| | | | 400/2 | 0.028 | 0.07 |
| | | | 399/1घ | 0.150 | 0.37 |
| | | | 379/1 | 0.081 | 0.20 |
| | | | 380 | 0.012 | 0.03 |
| | | | 362/1ग/2, 363/2 | 0.036 | 0.09 |
| | | | 379/3 | 0.024 | 0.06 |
| | | | 391 | 0.040 | 0.10 |
| | | | 382/3 | 0.040 | 0.10 |
| | | | 382/2क | 0.053 | 0.13 |
| | | | 382/1ख | | 0.00 |
| | | | 362/1ख | 0.012 | 0.03 |
| | | | 382/1क | | 0.00 |
| | | | 364 | | 0.00 |
| | | | 384/2ख | 0.012 | 0.03 |
| | | | 384/3 | 0.089 | 0.22 |
| | | | 384/4 | 0.040 | 0.10 |
| | | | 396/4 | 0.036 | 0.09 |
| | | | 389 | 0.012 | 0.03 |
| | | | 362/1ग/1, 363/1 | 0.049 | 0.12 |
| | | | 399/1ख | 0.016 | 0.04 |
| | | | 394/1 | 0.012 | 0.03 |
| | | | 352/1 | 0.028 | 0.07 |
| | | | 384/1क | | 0.00 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 390/2 | 0.040 | 0.10 |
| | | | 390/1 | 0.008 | 0.02 |
| | | | 384/5 | 0.008 | 0.02 |
| | | **कुल खसरा संख्या** | **27** | **0.854** | **2.11** |

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 के उप धारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के 21 दिवस (इक्कीस दिवस) के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायगढ़ छ.ग. को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

**टीप :—**

1. भूमि के नीचे पाईपलाईन बिछाए जाने के संबंध में नक्शा एवं नस्ती कार्यालय सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़ जिला रायगढ़ (छ.ग.) में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 23 जनवरी 2013

प्रारूप-ख

[ नियम 5 (1) देखिये ]

क्रमांक 1694 बी 121/12-13.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम जुनवानी, प.ह.नं. 14, तह. एवं जिला रायगढ़ छ.ग. से परिवहन हेतु ग्राम-देवरी डुमरपाली, प.ह.नं. 05, तह. एवं जिला रायगढ़ छ.ग. तक मेसर्स वीसा पावर लिमिटेड, ग्राम देवरी डुमरपाली द्वारा भूमिगत पाईपलाईन बिछाई जानी है,

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम-जुनवानी, प.ह.नं. 14, तह. एवं जिला रायगढ़ की भूमि का जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा, छ.ग. भूमिगत पाईपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

## अनुसूची

| जिला | तहसील | ग्राम/प.ह.नं. | खसरा नंबर | उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | हेक्टेयर में | एकड़ में |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रायगढ़ | रायगढ़ | जुनवानी/14 | 300, 306/1 | 0.069 | 0.17 |
| | | | 300, 306/2 | 0.069 | 0.17 |
| | | | 302/3 | 0.081 | 0.20 |
| | | | 301/1 | 0.141 | 0.35 |
| | | | 264/2क, 268/6क | 0.061 | 0.15 |
| | | | 264/7क, 268/2क | 0.024 | 0.06 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 260/3 | 0.024 | 0.06 |
| | | | 235/2 | 0.040 | 0.10 |
| | | | 259/3 | 0.016 | 0.04 |
| | | | 237/2 | 0.057 | 0.14 |
| | | | 256/2 | 0.004 | 0.01 |
| | | | 237/4 | 0.012 | 0.03 |
| | | | 259/2 | 0.008 | 0.02 |
| | | | 256/1 | 0.004 | 0.01 |
| | | | 238/3 | 0.020 | 0.05 |
| | | | 257/2 | 0.020 | 0.05 |
| | | | 258/1 | 0.016 | 0.04 |
| | | | 264/7ख, 268/2ख | 0.061 | 0.15 |
| | | | 257/4 | 0.016 | 0.04 |
| | | | 239 | 0.020 | 0.05 |
| | | | 235/1 | 0.012 | 0.03 |
| | | | 260/1 | 0.012 | 0.03 |
| | | | 260/4 | 0.016 | 0.04 |
| | | | 257/1 | 0.008 | 0.02 |
| | | | 256/3 | 0.004 | 0.01 |
| | | | 257/3 | 0.012 | 0.03 |
| | | | 300/3 | 0.016 | 0.04 |
| | | **कुल खसरा संख्या** | **27** | **0.843** | **2.08** |

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 के उप धारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के 21 दिवस (इक्कीस दिवस) के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायगढ़ छ.ग. को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

**टीप :—**

1. भूमि के नीचे पाईपलाईन बिछाए जाने के संबंध में नक्शा एवं नस्ती कार्यालय सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़ जिला रायगढ़ (छ.ग.) में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 23 जनवरी 2013

### प्रारूप-ख

[ नियम 5 (1) देखिये ]

क्रमांक 1695 बी 121/12-13.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम बरपाली, प.ह.नं. 14, तह. एवं जिला रायगढ़ छ.ग. से परिवहन हेतु ग्राम-देवरी डुमरपाली, प.ह.नं. 05, तह. एवं जिला रायगढ़ छ.ग. तक मेसर्स वीसा पावर लिमिटेड, ग्राम देवरी डुमरपाली द्वारा भूमिगत पाईपलाईन बिछाई जानी है,

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम-बरपाली, प.ह.नं. 14, तह. एवं जिला रायगढ़ की भूमि का जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा, छ.ग. भूमिगत पाईपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

## अनुसूची

| जिला | तहसील | ग्राम/प.ह.नं. | खसरा नंबर | उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | हेक्टेयर में | एकड़ में |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रायगढ़ | रायगढ़ | बरपाली/14 | 55 | 0.024 | 0.06 |
| | | | 52 | 0.032 | 0.08 |
| | | | 21/3 | 0.081 | 0.20 |
| | | | 283/2 | 0.016 | 0.04 |
| | | | 42, 61/479/2/4 | 0.049 | 0.12 |
| | | | 49 | 0.028 | 0.07 |
| | | | 51/2 | 0.081 | 0.20 |
| | | | 91 | 0.061 | 0.15 |
| | | | 88/1, 89/1 | 0.040 | 0.10 |
| | | | 283/1 | 0.016 | 0.04 |
| | | | 21/1, 24/1, 24/2, 31/1, 41/478 | 0.024 | 0.06 |
| | | | 87 | 0.162 | 0.40 |
| | | | 27 | 0.109 | 0.27 |
| | | | 105 | 0.004 | 0.01 |
| | | | 104/4 | 0.028 | 0.07 |
| | | | 53/1 | 0.069 | 0.17 |
| | | | 280/13/1 | 0.004 | 0.01 |
| | | | 287/2क | 0.049 | 0.12 |
| | | | (272/1, 272/2)/1 | 0.024 | 0.06 |
| | | | 402/18 | 0.121 | 0.30 |
| | | | 270/1 | 0.053 | 0.13 |
| | | | 270/3 | 0.053 | 0.13 |
| | | | (272/1, 272/2)/2 | 0.024 | 0.06 |
| | | | (272/1, 272/2)/3 | 0.024 | 0.06 |
| | | | 287/1 | 0.049 | 0.12 |
| | | | 272/4 | 0.024 | 0.06 |
| | | | 28/2 | 0.028 | 0.07 |
| | | | 267/3 | 0.028 | 0.07 |
| | | | 21/5, 24/1, 28/1, 31/1, 41/478 | 0.194 | 0.48 |
| | | | 24/1, 28/1, 31/1, 21/10, 41/478 | 0.081 | 0.20 |
| | | | 28/2, 24/1, 31/1, 41/478, 21/4, 24/2, 31/1 | 0.081 | 0.20 |
| | | | 42, 61, 479/3 | 0.251 | 0.62 |
| | | | 295/1 | 0.032 | 0.08 |
| | | | 42, 61/479/2/5 | 0.008 | 0.02 |
| | | | 60/4 | 0.008 | 0.02 |
| | | | 54 | 0.081 | 0.20 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 271 | 0.028 | 0.07 |
| | | | 273/1 | 0.040 | 0.10 |
| | | | 118/1 | 0.004 | 0.01 |
| | | | 89, 90 | 0.069 | 0.17 |
| | | | 285/1 | 0.032 | 0.08 |
| | | | 296/1 | 0.121 | 0.30 |
| | | | 116/2 | 0.040 | 0.10 |
| | | | 286/1 | 0.049 | 0.12 |
| | | | 270/1 | 0.049 | 0.12 |
| | | | 119/1 | 0.008 | 0.02 |
| | | | 402/6क | 0.008 | 0.02 |
| | | | 29/1 | 0.020 | 0.05 |
| | | | 116/1 | 0.008 | 0.02 |
| | | | 117 | 0.008 | 0.02 |
| | | | 402/62 | 0.008 | 0.02 |
| | | | 269/2 | 0.008 | 0.02 |
| | | | 402/60 | 0.012 | 0.03 |
| | | | 45/2 | 0.012 | 0.03 |
| | | | 285/1, 285/2 | 0.020 | 0.05 |
| | | | **कुल खसरा संख्या 55** | **2.585** | **6.39** |

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 के उप धारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के 21 दिवस (इक्कीस दिवस) के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायगढ़ छ.ग. को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

**टीप :—**

1. भूमि के नीचे पाईपलाईन बिछाए जाने के संबंध में नक्शा एवं नस्ती कार्यालय सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़ जिला रायगढ़ (छ.ग.) में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 23 जनवरी 2013

प्रारूप-ख

[ नियम 5 (1) देखिये ]

क्रमांक 1696 बी 121/12-13.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम लिटाईपाली, प.ह.नं. 15, तह. एवं जिला रायगढ़ छ.ग. से परिवहन हेतु ग्राम-देवरी डुमरपाली, प.ह.नं. 05, तह. एवं जिला रायगढ़ छ.ग. तक मेसर्स वीसा पावर लिमिटेड, ग्राम देवरी डुमरपाली द्वारा भूमिगत पाईपलाईन बिछाई जानी है,

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम-लिटाईपाली, प.ह.नं. 15, तह. एवं जिला रायगढ़ की भूमि का जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा, छ.ग. भूमिगत पाईपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

## अनुसूची

| जिला | तहसील | ग्राम/प.ह.नं. | खसरा नंबर | उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | हेक्टेयर में | एकड़ में |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रायगढ़ | रायगढ़ | लिटाईपाली/15 | 523/1 | 0.008 | 0.02 |
| | | | 528/6 | 0.016 | 0.04 |
| | | | 515 | 0.028 | 0.07 |
| | | | 527/2 | 0.072 | 0.18 |
| | | | 517 | 0.036 | 0.09 |
| | | | 518 | 0.085 | 0.21 |
| | | | 514/2 | 0.025 | 0.06 |
| | | | 516 | 0.028 | 0.07 |
| | | | 531/1 | 0.008 | 0.02 |
| | | | 524 | 0.123 | 0.30 |
| | | | 525/2 | 0.020 | 0.05 |
| | | | 525/3 | 0.020 | 0.05 |
| | | | 523/2 | 0.028 | 0.07 |
| | | | 501/1 | 0.004 | 0.01 |
| | | | 531/2 | 0.004 | 0.01 |
| | | | 531/3 | 0.004 | 0.01 |
| | | | 527/1 | 0.020 | 0.05 |
| | | | 520/7 | 0.012 | 0.03 |
| | | | 513/1 | 0.012 | 0.03 |
| | | | 522/3ख | 0.028 | 0.07 |
| | | | 522/3क | 0.028 | 0.07 |
| | | | 528/2 | 0.061 | 0.15 |
| | | **कुल खसरा संख्या** | **22** | **0.670** | **1.66** |

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 के उप धारा (1) के अधान अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के 21 दिवस (इक्कीस दिवस) के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायगढ़ छ.ग. को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

**टीप :—**

1. भूमि के नीचे पाईपलाईन बिछाए जाने के संबंध में नक्शा एवं नस्ती कार्यालय सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़ जिला रायगढ़ (छ.ग.) में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 23 जनवरी 2013

**प्रारूप-ख**

[ नियम 5 (1) देखिये ]

क्रमांक 1697 बी 121/12-13.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम सरवानी, प.ह.नं. 15, तह. एवं जिला रायगढ़ छ.ग. से परिवहन हेतु ग्राम-देवरी डुमरपाली, प.ह.नं. 05, तह. एवं जिला रायगढ़ छ.ग. तक मेसर्स वीसा पावर लिमिटेड, ग्राम देवरी डुमरपाली द्वारा भूमिगत पाईपलाईन बिछाई जानी है,

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम-सरवानी, प.ह.नं. 15, तह. एवं जिला रायगढ़ की भूमि का जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा, छ.ग. भूमिगत पाईपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

अनुसूची

| जिला | तहसील | ग्राम/प.ह.नं. | खसरा नंबर | उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | हेक्टेयर में | एकड़ में |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रायगढ़ | रायगढ़ | सरवानी/15 | 519/1 | 0.016 | 0.04 |
| | | | 474/3 | 0.162 | 0.40 |
| | | | 518/1 | 0.012 | 0.03 |
| | | | 518/4 | 0.016 | 0.04 |
| | | | 517/1 | 0.040 | 0.10 |
| | | | 474/1 | 0.081 | 0.20 |
| | | | 475/2 | 0.020 | 0.05 |
| | | | 475/3 | 0.016 | 0.04 |
| | | | 476/2क | 0.016 | 0.04 |
| | | | 476/2ख | 0.020 | 0.05 |
| | | | 476/1 | 0.028 | 0.07 |
| | | | 476/3 | 0.02 | 0.05 |
| | | | 477/1 | 0.141 | 0.35 |
| | | **कुल खसरा संख्या** | **13** | **0.588** | **1.46** |

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अभिनियम की धारा 3 के उप धारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के 21 दिवस (इक्कीस दिवस) के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायगढ़ छ.ग. को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

**टीप :—**

1. भूमि के नीचे पाईपलाईन बिछाए जाने के संबंध में नक्शा एवं नस्ती कार्यालय सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़ जिला रायगढ़ (छ.ग.) में देखा जा सकता है.

**जे. आर. चौरसिया,**
सक्षम प्राधिकारी एवं
अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

STATE BAR COUNCIL OF CHHATTISGARH

Bilaspur, the 6th November 2012

Ref. S.B.C./C.G./Election Notification/2012/408/1221/107/13.— अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 8 के अन्तर्गत भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा छ.ग. राज्य विधिज्ञ परिषद् का वर्तमान कार्यकाल 6 महिने के लिए बढ़ाया गया है.

Ref. S.B.C./C.G./Election Notification/2012/408/1221/107/13.— In exercise of powers confermed under Sec. 8 of Advocates Act. The Bar Council of India has extended the term of Bar Council of C.G. for a further period of 6 month.

**मल्लिका बल,**
उप-सचिव.

---

# उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

## उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 17 जनवरी 2013

क्रमांक 20/दो-2-13/2009.— श्री गौतम चौरड़िया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा को उनके आवेदन पत्र दिनांक 27-12-2012 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2009 से 31-10-2011 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 17 जनवरी 2013

क्रमांक 21/दो-2-18/2006.— श्री गनपत राव, विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज), रायपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 20-12-2012 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2009 से 31-10-2011 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
**एम. पी. बिसोई,** लेखाधिकारी.